इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 296] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मई 2018—ज्येष्ठ 8, शक 1940

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2018

एफ 14-82-1988-दस-2.—वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 28 के साथ पठित धारा-64 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 34 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"34. धारा 28 के अधीन राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में, तथा धारा 64 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों एवं वन विभाग द्वारा प्रबंधित चिड़ियाघरों में प्रवेश के लिए प्रवेश फीस और प्रवेश अनुज्ञा की शर्तें,—

1. **प्रवेश अनुज्ञा पत्र :**

(1) कोई भी व्यक्ति, किसी राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों या वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित चिड़ियाघरों में, धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन वर्णित प्रयोजनों के लिए एवं इस नियम में यथा विहित के अनुसार ऐसी फीस के भुगतान पर, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्यप्रदेश या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए विधिमान्य प्रवेश अनुज्ञापत्र के बिना, प्रवेश नहीं करेगा.

(2) प्रवेश अनुज्ञापत्र वैयक्तिक, अहस्तांतरणीय तथा प्रवेश अनुज्ञापत्र में वर्णित कालावधि के लिए प्रवेश हेतु विधिमान्य होगा.

2. **विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत अधीन प्रवेश फीस में छूट :**

(1) राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों और चिड़ियाघरों में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कोई प्रवेश फीस नहीं ली जाएगी, अर्थात्:—

(क) वन्य जीवों का अध्ययन या अन्वेषण और उसके आनुषंगिक उद्देश्य;

(ख) वैज्ञानिक अनुसंधान;

(ग) राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में निवास कर रहे किसी व्यक्ति के साथ विधिपूर्ण कारोबार का संव्यवहार;

(घ) टाइगर रिजर्व के बफर जोन में और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की 5 किलोमीटर की सीमाओं के भीतर स्थित ग्रामों की मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के छात्रों की प्राधिकृत अध्ययन यात्राएं या ईको विकास समितियों के सदस्यों की प्राधिकृत अध्ययन यात्राएं;

(ड.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार या विभिन्न राज्यों के वन विभागों के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के छात्रों, प्रशिक्षुओं, अनुदेशकों और सहायक कर्मचारिवृंद की प्राधिकृत अध्ययन यात्राएं;

(च) अनुभूति कार्यक्रम एवं मोगली उत्सव के प्रतिभागियों को कार्यक्रम के दौरान वन्यप्राणी सप्ताह में पुरस्कृत प्रतिभागियों को एक बार पुरस्कार के रूप में;

(छ) 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों का प्रवेश।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (घ) के अधीन समावेशित न होने वाले अतिरिक्त मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों के छात्रों को नियमित प्रवेश फीस में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी प्राधिकृत अध्ययन यात्राओं की पूर्व सूचना दी गई हो। यह सुविधा किसी संस्थान के छात्र–छात्राओं को पूरे पर्यटन वर्ष, अर्थात् 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि के दौरान खुली अवधि में केवल एक बार एक भ्रमण हेतु दी जाएगी।

(3) विशेष परिस्थितियों में मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश अथवा संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र या चिड़ियाघर के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को अधिकतम धारण क्षमता की सीमाओं के भीतर प्रवेश फीस से पूर्णतः छूट दी जा सकेगी।

(4) उप–नियम (1) के खण्ड (क); (ख) एवं (ग) में वर्णित प्रयोजनों के लिए प्रवेश अनुज्ञापत्र की पात्रता एवं शर्तें; एक विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा पृथक्तः से अभिनिश्चित की जाएगी।

3. पर्यटन के प्रयोजन हेतु क्षेत्रों का वर्गीकरण एवं प्रवेश फीस

(1) वन्यप्राणी पर्यटन क्षेत्रों की वर्गीकृत सारणी

अनुक्रमांक.	वर्ग	सम्मिलित संरक्षित क्षेत्रों के ब्योरे	वर्ग गुणांक /सारणी
1	वर्ग–1	कोर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित अभ्यारण्यों को समाविष्ट करते हुए टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में पूर्ण रूप से विस्तारित पर्यटन जोन एवं ऐसे पर्यटन जोन जो अंशतः कोर एवं बफर दोनों क्षेत्रों में विस्तारित हों।	1
2	वर्ग –2	टाइगर रिजर्वों के बफर क्षेत्र में पूर्ण रूप से विस्तारित पर्यटन जोन; तथा फेन अभ्यारण्य।	0.8
3	वर्ग –3	माधव राष्ट्रीय उद्यान; गांधीसागर, नौरादेही, रातापानी, कूनो पालपुर एवं खिवनी अभ्यारण्य।	0.5

अनुक्रमांक.	वर्ग	सम्मिलित संरक्षित क्षेत्रों के ब्यौरे	वर्ग गुणांक /सारणी
4	वर्ग –4	(क) फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, घुघवा एवं डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, धार । (ख) सैलाना, सरदारपुर, घाटीगांव, करेरा, केन घड़ियाल, सोन घड़ियाल, राष्ट्रीय चंबल, नरसिंहगढ़, बगदरा, वीरांगना दुर्गावती, सिंघोरी एवं ओरछा अभ्यारण्य (ग) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त किसी भी वर्ग के भीतर पर्यटन प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट समस्त विशिष्ट स्थल एवं व्यू पॉइंट्स* ।	0.2
5	वर्ग –5	प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त किसी भी वर्ग के भीतर पर्यटन प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट विशिष्ट स्थलों एवं व्यू पॉइंट्स में से कोई एक स्थल।	0.1
6	वर्ग –6	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, रालामण्डल अभ्यारण्य एवं मुकुन्दपुर चिड़ियाघर।	सारणी 3(4)

(क) किसी संरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र या चिड़ियाघर में प्रवेश फीस हेतु दरें उपरोक्त सारणी में वर्णित वर्ग गुणांक के साथ उप–नियम (2) की सारणी (क) एवं (ख) में वर्णित दरों से गुणा कर प्राप्त की जाएंगी। यह गुणनफल रूपए 5/– (रूपए 100/– तक की रकम के लिए) या रूपए 10/– रूपए (100/– के बराबर या अधिक की रकम के लिए) के अगले गुणा से पूर्णांकित होगी या वास्तविक प्रवेश फीस ली जाएगी।

(ख) *ये दरें एक भ्रमण हेतु हैं एवं अनुज्ञापत्र एक दिवस हेतु विधिमान्य रहेगा। पचमढ़ी में समस्त विनिर्दिष्ट विशिष्ट स्थलों एवं व्यू पॉइंट्स के भ्रमण के लिए पर्यटक 3 दिवसीय विधिमान्य वाले विशेष अनुज्ञापत्र दोगुनी दर से भुगतान कर प्राप्त किए जा सकेंगे।

(2) पर्यटन आधारित वाहन हेतु प्रवेश फीस

(क) प्रबंधन के साथ रजिस्ट्रीकृत पर्यटक वाहनों के लिए प्रवेश फीस।

अनुक्रमांक	अनुज्ञापत्रों के प्रकार	दरें (रकम रू. में)
1	एकल सीट अनुज्ञापत्र (हल्के वाहन एवं मिनी बस)	रूपए 250
2	संपूर्ण वाहन अनुज्ञापत्र (केवल हल्के वाहन, अधिकतम 6 पर्यटक)	रूपए 1500

(ख) निजी गैररजिस्ट्रीकृत वाहन से पर्यटन हेतु प्रवेश फीस जहां प्रबंधन द्वारा ऐसे वाहनों को अनुज्ञात किया गया है।

अनुक्रमांक	अनुज्ञापत्र का प्रकार	दरें (रकम रू. में)
1.	दोपहिया वाहन, (स्कूटर, मोटर साइकिल एवं अन्य दो पहिया मोटर वाहन अधिकतम 2 व्यक्ति)	रूपए 1,000
2.	ऑटो रिक्शा (अधिकतम 3 व्यक्ति)	रूपए 2,000
3.	हल्के मोटर वाहन (अधिकतम 6 व्यक्ति)	रूपए 3,000
4.	बस/मिनी बस	रूपए 6,000

(ग) उपरोक्त (क) में वर्णित फीस मात्र प्रवेश अनुज्ञापत्र हेतु है। रजिस्ट्रीकृत पर्यटक वाहन हेतु वाहन प्रभार भ्रमण के पूर्व वाहन मालिक को पृथक्तः से देय होगा। उपरोक्त (क) एवं (ख) में गाइड फीस भी सम्मिलित नहीं है, जो कि गाइड को पृथक्तः से देय है।

(घ) उपरोक्त (क) में वर्णित एकल सीट अनुज्ञा हेतु पर्यटन वाहन प्रभार तथा गाइड फीस वाहन में उपस्थित पर्यटकों के मध्य समान रूप से विभाजित की जाएगी तथा प्रवेश के समय देय होगी।

(ड.) वाहन में अनुज्ञात व्यक्तियों की संख्या में चालक और गाइड की गणना सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(च) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी पर्यटकों की सुरक्षा तथा पर्यटन मार्गों की स्थानीय परिस्थितियों आदि के आधार पर ऐसे वाहन के वर्ग/प्रकार का विनिश्चय करेगा जिसे पर्यटन प्रयोजनों हेतु संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(छ) पर्याप्त संख्या में रजिस्ट्रीकृत वाहनों की अनुपलब्धता की दशा में या अन्य स्थानीय कारणों से उद्यान प्रबंधन द्वारा आदेश जारी कर गैर रजिस्ट्रीकृत वाहनों को प्रवेश की अनुज्ञा दी जा सकेगी। ऑन लाईन बुक किए गए अनुज्ञापत्रों में प्रवेश फीस के अंतर की राशि पार्क में प्रवेश के समय पर्यटकों द्वारा देय होगी।

(ज) धारा 3 की उप–धारा (2) की सारणी (क) में वर्णित एकल सीट अनुज्ञा हेतु प्रवेश फीस दरों में 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों हेतु आधी फीस देय होगी एवं उन्हें वाहन में एक सीट उपलब्ध कराई जाएगी। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे निःशुल्क प्रवेश के हकदार होंगे एवं अपने अभिभावकों के साथ बैठेंगे।

(झ) यदि किसी पर्यटक के पास वर्ग–1, वर्ग–2, वर्ग–3, वर्ग–4(ख) के अनुसार प्रवेश फीस का भुगतान करने के पश्चात् वाहन द्वारा किसी पर्यटन जोन में संपूर्ण सफारी राउन्ड भ्रमण हेतु अनुज्ञापत्र हो, तो वह उस पर्यटन जोन के भीतर स्थित किसी विशिष्ट स्थल/व्यू पॉइंट में बिना कोई अतिरिक्त फीस जा सकेगा। यदि कोई पर्यटक, संरक्षित क्षेत्र

के भीतर स्थित केवल अधिसूचित विशिष्ट स्थल/ व्यू पॉइंट को भ्रमण करना चाहता है तो उसे उपरोक्त सारणियों में वर्ग–4(ग)/ वर्ग–5 के अनुसार फीस देय होगी। इस प्रकार से विशिष्ट स्थल/व्यू पॉइंट का अनुज्ञापत्र लेने वाले पर्यटक प्रबंधन के द्वारा विनिश्चित मार्ग एवं समय पर भ्रमण कर सकेंगे।

(ञ) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा, परिचालित होटल/रिसॉर्ट/लॉज से अनुरोध प्राप्त होने पर, होटल/रिसॉर्ट/लॉज हेतु सीमित संख्या में, एक वर्ष के लिए प्रति नेचुरलिस्ट रूपए 10,000/– के रजिस्ट्रीकरण फीस से नेचुरलिस्टों का रजिस्ट्रीकरण करेगा तथा एक परिचय पत्र जारी करेगा।

(ट) अनुज्ञापत्र धारी पर्यटकों के साथ रजिस्ट्रीकृत पर्यटक वाहनों में बैठक उपलब्ध होने के अध्ययन रहते हुए, नेचुरलिस्ट, विधिमान्य अनुज्ञापत्र रखने वाले पर्यटकों के साथ पर्यटक वाहन में प्रवेश कर सकेंगे भले ही उनके नाम अनुज्ञापत्र उल्लिखित नहीं है, पर्यटकों के वाहन में सहबद्ध के रूप में जा सकेंगे। ऐसे वाहनों में पार्क गाइड भी उपस्थित रहेंगे तथा पूर्ववत् की भांति अपनी सेवाएं दे करेंगे।

(3) वाहन द्वारा पार्क भ्रमण के भिन्न अन्य गतिविधियों हेतु प्रवेश फीसः

(क) फीस सारणी

क्र.	प्रवेश का प्रयोजन	प्रति पर्यटक फीस
1.	पैदल/ ट्रैकिंग/ साइकलिंग (संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए विनिर्दिष्ट मार्गों पर)	रूपए 250
2.	विनिर्दिष्ट हाइड/मचान/वॉच टॉवर से वन्य प्राणी दर्शन।	रूपए 600
3.	कैंपिंग (केवल संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए परिसरों में)	रूपए 1500

(4) वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, रालामण्डल अभ्यारण्य एवं मुकुन्दपुर चिड़ियाघर हेतु प्रवेश फीस

(क) फीस सारणी

(रकम रूपए में)

अनुक्रमांक.	भ्रमण का प्रयोजन	पर्यटकों हेतु प्रवेश फीस
1.	पैदल भ्रमण	20/–रूपए प्रति व्यक्ति
2.	साइकिल द्वारा भ्रमण (एक व्यक्ति)	30/–रूपए प्रति साइकिल
3.	दो पहिया मोटर वाहन (अधिकतम दो व्यक्ति)	60/–रूपए प्रति मोटर वाहन
4.	ऑटो रिक्शा (चालक सहित अधिकतम 4 व्यक्ति)	120/–रूपए प्रति वाहन
5.	हल्के चार पहिया वाहन (अधिकतम 5 व्यक्ति की क्षमता वाले)	250/–रूपए प्रति वाहन
6.	हल्के चार पहिया वाहन (5 व्यक्ति से अधिक की क्षमता वाले)	400/–रूपए प्रति वाहन
7.	मिनी बस (अधिकतम 20 व्यक्ति की क्षमता तक)	1000/–रूपए प्रति वाहन
8.	बस (20 से अधिक व्यक्तियों की क्षमता वाले)	2000/–रूपए प्रति वाहन
9.	गोल्फ कार्ट से भ्रमण या सफारी भ्रमण (प्रबंधन वाहन द्वारा)	प्रवेश फीस तथा रूपए 50/ प्रति व्यक्ति

(ख) उपरोक्त वर्णित दरें वर्ग–छह क्षेत्रों हेतु सामान्य (Generic Rates) दरें हैं। संरक्षित क्षेत्र/चिड़ियाघर के भारसाधक अधिकारी यह विनिश्चय करेंगे कि उनके क्षेत्र में कौनसी गतिविधियां उपयुक्त हैं तथा तद्नुसार प्रवेश फीस लेकर उपयुक्त गतिविधियों हेतु अनुज्ञापत्र जारी करेंगे।

(ग) अनुक्रमांक 2 से 8 में वर्णित प्रति वाहन फीस में पर्यटकों की प्रवेश फीस सम्मिलित है। वाहन में उपस्थित पर्यटकों की संख्या वाहन की रजिस्ट्रीकृत पासिंग क्षमता से अधिक नहीं होगी।

(घ) अनुक्रमांक 9 में वर्णित सफारी फीस अनुक्रमांक 1 से 8 तक वर्णित प्रवेश फीस के अतिरिक्त है।

(ड.) सफारी वाहन के प्रचालन हेतु पर्यटकों की न्यूनतम अपेक्षित संख्या प्रबंधन द्वारा विनिश्चित की जाएंगी। सफारी हेतु उपलब्ध अपर्याप्त पर्यटकों की संख्या की दशा में, इच्छुक पर्यटक न्यूनतम अपेक्षित व्यक्तियों हेतु फीस का भुगतान करते हुए सफारी प्राप्त कर सकेंगे।

(5) प्रबंधन द्वारा प्रतिदिन के आधार पर पार्क भ्रमण सीमित कालावधि के लिए तथा मार्गों का विनिश्चय किया जाएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान/रालामंडल अभ्यारण्य में पैदल या साइकिल द्वारा प्रवेश फीस हेतु मासिक/वार्षिक/आजीवन दरें निम्नलिखित होंगी।

अनुक्रमांक	प्रवेश का प्रकार	मासिक फीस	वार्षिक फीस	आजीवन फीस	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पैदल	रू.300	रू.3000	रू.24,000	संचालक या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति व्यक्ति नियमित प्रवेश हेतु पास जारी किए जाएंगे।
2.	साइकिल	रू.450	रू.4500	रू.30,000	

(6) क्षेत्र की विशिष्टताओं एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित गतिविधियों से क्षेत्र हेतु उपयुक्त गतिविधियों तथा उसके प्रचालन का विनिश्चय किया जाएगा। वह पर्यटकों हेतु कोई नई गतिविधि भी सम्मिलित कर सकेगा। किसी नई गतिविधि को प्रस्तावित करने के पूर्व वह गतिविधि के क्षेत्र एवं फीस का विनिश्चय करने के पश्चात्, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अनुमोदन लेगा।

4. ऑनलाइन अनुज्ञापत्रों का जारी किया जाना:

(1) उन संरक्षित क्षेत्रों के लिए जहां पर्यटक धारण क्षमता की गणना अनुसार प्रतिदिन के लिए उपलब्ध वाहन हेतु अनुज्ञापत्रों की संख्या जारी किया जाना नियत है, वहां प्रतिदिन उपलब्ध कुल अनुज्ञापत्रों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित प्रतिशत ऑनलाइन/पर्यटन द्वार हेतु उपलब्ध रहेगा। प्रतिशतता अनुसार अनुज्ञापत्रों की वास्तविक संख्या प्राप्त करते हुए संख्या का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा :

एकल सीट अनुज्ञापत्र (ऑन लाइन)	एकल सीट अनुज्ञापत्र (पर्यटन द्वार पर)	क्षेत्र संचालक कोटा	पूर्ण वाहन अनुज्ञापत्र (ऑन लाइन)
10 प्रतिशत	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत	शेष अनुज्ञापत्र

(2) उन पर्यटन क्षेत्रों में, जहां पर्यटक धारण क्षमता एवं प्रतिदिन जारी किए जाने वाले अनुज्ञापत्रों की उच्च सीमा विनिश्चित नहीं है, ऐसे क्षेत्रों हेतु मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, धारण क्षमता विनिश्चित कर सकेंगे। भारसाधक अधिकारी ऑनलाइन बुकिंग हेतु उपलब्ध अनुज्ञापत्रों की संख्या का विनिश्चय करेंगे।

(3) पर्यटन द्वार पर, अनुज्ञापत्र सफारी दिवस के एक दिन पूर्व सायं 5:00 बजे से उपलब्ध होंगे। बुकिंग का वास्तविक समय संरक्षित क्षेत्र के भार–साधक अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(4) सुनिश्चित एकल सीट अनुज्ञापत्रधारी को प्रवेश समय के आधा घंटा पूर्व नियत प्रवेश द्वार पर उपस्थित रहेंगे तथा काउंटर पर अपने–अपने अनुज्ञापत्र एवं परिचय पत्र दर्शित करने होंगे। यदि वे प्रवेश समय के आधा घंटा पूर्व पहुंचने में असफल रहते हैं, तो उनके अनुज्ञापत्र स्वमेव निरस्त माने जाएंगे। ऐसे अनुज्ञापत्र प्रवेश द्वार पर एकल सीट अनुज्ञापत्र के रूप में बुकिंग हेतु उपलब्ध होंगे।

(5) संपूर्ण वाहन अनुज्ञापत्रधारी पर्यटकों को, प्रातः सफारी हेतु प्रवेश समय के एक घंटा पश्चात् तक तथा सायं सफारी हेतु प्रवेश समय के आधा घंटा पश्चात् तक प्रवेश द्वार पर अपने–अपने अनुज्ञापत्र तथा परिचय पत्र दिखाने होंगे। यदि वे इस समय तक पहुंचने में असफल रहते हैं तो उनके अनुज्ञापत्र स्वमेव निरस्त माने जाएंगे एवं ऐसा अनुज्ञापत्र प्रवेश द्वार पर एकल सीट अनुज्ञापत्र के रूप में बुकिंग हेतु उपलब्ध होंगे। ऐसे उपलब्ध अनुज्ञापत्रों के पर्यटक अगले 30 मिनट तक पार्क में प्रवेश कर सकेंगे। उन परिस्थितियों से अन्यथा जब पूर्व से बुक किए गए अनुज्ञापत्र के पश्चात् जारी अनुज्ञापत्र धारी पर्यटक समय पर पहुंचने में असफल रहते हैं तो सामान्यतः पार्क प्रवेश समय के एक घंटे पश्चात् पर्यटकों को अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।

(6) प्रवेश अनुज्ञापत्र में सूचीबद्ध समस्त भारतीय पर्यटकों के लिए कोई एक विधिमान्य पहचान पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, पेनकार्ड, वोटर आईडी, केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा जारी किया गया कोई अन्य परिचय–पत्र, स्कूल–कॉलेज द्वारा जारी परिचय–पत्र) रखना अनिवार्य होगा। यदि प्रवेश अनुज्ञापत्र में वर्णित व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो प्रवेश अनुज्ञापत्र निरस्त हो जाएगा।

(7) प्रवेश अनुज्ञापत्र में सूचीबद्ध समस्त विदेशी पर्यटकों को उनके पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट रखना अनिवार्य होगा। यदि प्रवेश अनुज्ञापत्र में वर्णित व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो प्रवेश अनुज्ञापत्र निरस्त हो जाएगा।

(8) ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था के अंतर्गत, विशिष्ट पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बार समस्त उपलब्ध संपूर्ण वाहन अनुज्ञापत्र बुक हो जाएंगे तो इच्छुक पर्यटकों को सीमित संख्या में (ऑनलाइन अनुज्ञापत्रों का 10 प्रतिशत, युक्तियुक्तकरण के पश्चात्) ऑनलाइन प्रतीक्षा सूची के अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे। पुष्टिकृत अनुज्ञापत्र के निरस्तीकरण की स्थिति में प्रतीक्षा अनुज्ञापत्रकों को प्राथमिकता से पुष्टिकृत किया जाएगा। यदि प्रतिक्षा सूची अनुज्ञापत्र सफारी के 5 दिन पूर्व तक भी पुष्टिकृत नहीं हो पाती है तो वह स्वमेव निरस्त हो जाएगी एवं बुकिंग के लिए प्रभारित प्रवेश फीस पोर्टल फीस से घटाकर वापस कर दी जाएगी।

5. **एड–ऑन सुविधाः**

(1) उन संरक्षित क्षेत्रों के लिए, जहां ऑनलाइन अनुज्ञापत्र बुकिंग सुविधा प्रचालन में है, तो पहले से बुक किए गए संपूर्ण वाहन अनुज्ञापत्र के लिए पर्यटकों के नाम वाहन की अधिकतम क्षमता हो जाने तक, निम्नलिखित शर्तों के साथ ऑनलाइन जोड़े जा सकेंगे :

(क) मूल रूप से बुक किए गए अनुज्ञापत्र में न्यूनतम दो पर्यटकों के नाम वर्णित हों।

(ख) कम से कम दो पर्यटक, जिनके नाम पर मूल अनुज्ञापत्र बुक किया गया था वे पार्क भ्रमण के दौरान उपस्थित हों अन्यथा अनुज्ञापत्र निरस्त माना जाएगा।

(ग) खण्ड (ख) में वर्णित उपबंध केवल उन्हीं अनुज्ञापत्रों पर लागू होंगे जहां उसमें दोनों तरह के पर्यटक, मूल रूप से बुक किए गए एवं इस सुविधा का उपयोग कर जोड़े गए, पर्यटक हों। उन अनुज्ञापत्रों जिनमें एडऑन सुविधा का उपयोग नहीं किया गया हो, यदि उसमें प्रथम दो अथवा कोई अन्य पर्यटक सफारी के समय अनुपस्थित रहता हैं तो अनुज्ञापत्र बना रहेगा एवं अन्य उपस्थित पर्यटक सफारी हेतु जा सकेंगे।

(घ) केवल एक बार जाने में, अनुज्ञापत्र में चार अतिरिक्त पर्यटकों के नाम जोड़े (एड–ऑन) जा सकेंगे। धारा 3 की सारणी (1) तथा धारा 3 की उप–धारा (2) की सारणी (क) एवं (ख) पर आधारित ऐसे अतिरिक्त के लिए एक अनुज्ञापत्र का मूल्य एक अतिरिक्त फीस के बराबर जैसे टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतुएवं अन्य क्षेत्रों हेतु रूपए 1,500/– देय होगी।

(ड.) एड–ऑन सुविधा का उपयोग सफारी दिवस के 2 दिवस पूर्व तक (सफारी दिवस को छोड़ते हुए) ही किया जा सकेगा। (उदाहरणार्थ 5 नवंबर की सफारी हेतु केवल 2 नवंबर को सायं 5:00 बजे तक एड–ऑन संभव होगा)।

(च) एड–ऑन सुविधा का उपयोग पुनर्निधारण सुविधा का उपयोग करने के पश्चात् नहीं किया जा सकेगा।

6 प्रवेश अनुज्ञापत्र का निरस्तीकरण/पुनर्निर्धारण :

(1) ऐसे पर्यटक क्षेत्रों में जहां वहन क्षमता नियत है, पर्यटक अपनी यात्रा की तारीख एवं पर्यटन जोन (उसी संरक्षित क्षेत्र के भीतर) का ऑनलाइन बुक किए गए अनुज्ञापत्रों का पुनर्निर्धारण एक बार उपलब्धता या निरस्तीकरण के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगा। ऐसे निरस्तीकरण/पुनर्निर्धारण के लिए वे निम्नलिखित सारणी में विहित प्रभारों का भुगतान करेंगे।

(2) **सारणी**

अनुक्रमांक	ब्यौरे	निरस्तीकरण के पश्चात् वापस की गई रकम	पुनर्निर्धारण हेतु प्रभारित रकम
1	प्रवेश/सफारी दिनांक से 30 दिवस या उसके पूर्व अनुज्ञापत्र का निरस्तीकरण/ पुनर्निर्धारण ।	पोर्टल फीस घटाने के पश्चात् अनुज्ञापत्र फीस की संपूर्ण रकम।	केवल पोर्टल फीस।
2	प्रवेश/सफारी दिनांक के पूर्व 29 दिवस से 15 दिनों के मध्य अनुज्ञापत्र का निरस्तीकरण/ पुनर्निर्धारण।	अनुज्ञापत्र फीस एवं पोर्टल फीस का 50 प्रतिशत घटाने के पश्चात् शेष रकम।	अनुज्ञापत्र फीस एवं पोर्टल फीस का 50 प्रतिशत।
3	प्रवेश/सफारी दिनांक से एक दिवस पूर्व 2 बजे से सायं 5:00 बज़े के मध्य अनुज्ञापत्र का निरस्तीकरण।	अनुज्ञापत्र फीस तथा पोर्टल फीस 75 प्रतिशत घटाने के पश्चात् शेष रकम।	अनुज्ञापत्र फीस एवं पोर्टल फीस 75 प्रतिशत।

(3) ऑनलाइन बुक किए गए अनुज्ञापत्र, यदि 5 दिवस या उससे पूर्व निरस्त/ पुनर्निर्धारित किए जाते हैं, तो अनुज्ञापत्र अन्य पर्यटकों द्वारा ऑनलाइन बुकिंग हेतु उपलब्ध होंगे। अनुज्ञापत्र सफारी दिनांक के 5 या सफारी के पूर्व की कम दिन से एक दिन पूर्व सायं 5 बजे तक निरस्तीकरण पुनर्निर्धारण की दशा में, अनुज्ञापत्र क्षेत्र संचालक कोटा को बुकिंग हेतु उपलब्ध होगा। सफारी की तारीख के एक दिन पूर्व सायं 5 बजे के पश्चात्, निरस्तीकरण/पुनर्निर्धारण कराना संभव नहीं होगा।

(4) यदि निरस्तिकरण सुविधा का उपयोग एड–ऑन पुनर्निधारण के पश्चात् किया जाता है तो पश्चात् निरस्तीकरण वापसी रकम की गणना मूल अनुज्ञापत्र फीस के लागू (टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतु रूपए 1,500/– या अन्य क्षेत्रों हेतु उप–धारा 3 की सारणी (1) एवं (2) के अनुसार विनिश्चित फीस) प्रतिशतता के अनुसार संगणित की जाएगी।

(5) यदि निरस्तीकरण का उपयोग एड–ऑन सुविधा के उपयोग करने के पश्चात् किया जाता है, तो निरस्तीकरण पश्चात् की वापसी की रकम मूल अनुज्ञापत्र की फीस एड–ऑन की फीस (टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतु रूपए 3,000/– या अन्य क्षेत्रों हेतु उप–धारा (3) की सारणी (1) तथा (2) के अनुसार विनिश्चित फीस) लागू प्रतिशतता के अनुसार संगणित की जाएगी।

(6) यदि पुनर्निर्धारण का उपयोग एड–ऑन सुविधा के उपयोग करने के पश्चात् किया जाता है, तो पुनर्निर्धारण फीस मूल अनुज्ञापत्र की फीस (टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतु रूपए 1,500/– या अन्य क्षेत्रों हेतु उप–धारा 3 की सारणी (1) तथा (2) के अनुसार विनिश्चित फीस) के लागू प्रतिशतता के अनुसार संगणित की जाएगी।

7. पर्यटन हेतु संरक्षित क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश का विनियम–

(1) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी, एक पर्यटन वर्ष हेतु अपने संरक्षित क्षेत्र के भीतर पर्यटन के प्रयोजनों हेतु वाहनों को रजिस्ट्रीकृत करेगा। वह भौगोलिक विशिष्टताओं, पर्यटन आवश्यकताओं एवं क्षेत्र के अन्य स्थानीय तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वाहनों और चालकों हेतु न्यूनतम अर्हताकारी मानक विनिश्चित करेगा। वह वाहनों की कतिपय श्रेणी का प्रवेश प्रतिबंधित कर सकेगा।

(2) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी, क्षेत्र की पर्यटक वहन क्षमता, क्षेत्र में पर्यटकों के भ्रमण के रूझान, नवीन पर्यटक जोन की उपलब्धता के आधार पर एवं स्टाकहोल्डरों से चर्चा के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत वाहनों की संख्या विनिश्चय करेंगे। यदि पर्यटक वाहन की वर्तमान संख्या ऐसी विनिश्चित संख्या से कम है तो नये पर्यटक वाहन रजिस्ट्रीकृत किए जा सकेंगे। यदि पर्यटक वाहन की वर्तमान संख्या ऐसी विनिश्चित संख्या से अधिक है तो समस्त वाहन रजिस्ट्रीकृत किए जा सकेगा।

(3) समस्त रजिस्ट्रीकृत वाहन रोस्टर पद्धति के अंतर्गत प्रचालित होंगे। रोस्टर पद्धति संरक्षित क्षेत्र के भार–साधक अधिकारी के समक्ष रजिस्टर्ड पर्यटक वाहन संथा द्वारा प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित प्रबंधन द्वारा विनिश्चित प्रक्रिया से प्रबंधित होंगी।

(4) मध्यप्रदेश पर्यटन निगम द्वारा प्रचालित पर्यटन बस या संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन द्वारा प्रचालित कोई पर्यटक वाहन रोस्टर पद्धति का हिस्सा नहीं होंगे।

(5) प्रवेश द्वार से पार्क भ्रमण के लिए उपयोग किए गए रजिस्ट्रीकृत पर्यटक वाहन हेतु वाहन किराया प्रभार्य पर्यटकों द्वारा देय होगा। ऐसे भ्रमण के लिए किराया फीस संरक्षित क्षेत्र के भार–साधक अधिकारी द्वारा पर्यटक जोन में मार्गों की लम्बाई, सफारी की अवधि तथा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर तथा मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा अधिसूचित लागू दरों के आधार पर विचार करने के पश्चात् विनिश्चित की जाएगी।

(6) यदि कोई पर्यटक/पर्यटक समूह रोस्टर के माध्यम से आबंटित रजिस्ट्रीकृत वाहन से भिन्न अन्य रजिस्ट्रीकृत वाहन से पार्क भ्रमण की इच्छा रखता है तो उसे रोस्टर द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन को लागू वाहन किराया प्रभार का 70 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करना होगा। ऐसी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के पश्चात् वाहन रोस्टर पूर्ण होने तक अनुपलब्ध माना जाएगा तथा एक बार रोस्टर पूर्ण होने पर विशिष्ट वाहन पुनः रोस्टर में उपलब्ध होगा।

(7) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी या उसका प्रतिनिधि या उसके द्वारा गठित समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यटन वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व समस्त वाहनों की फिटनेस का परीक्षण करेगी एवं पर्यटन वाहन/चालक के रूप में उनको रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व, वाहन तथा वाहन चालक हेतु न्यूनतम पात्रता मानक सुनिश्चित करेगी।

(8) समस्त रजिस्ट्रीकृत वाहनों हेतु रूपए 2,000/– की पंजीयन फीस देय होगी। उक्त फीस संरक्षित क्षेत्र की उद्यान विकास निधि में जमा की जाएगी।

(9) पर्यटन अवधि के दौरान संरक्षित क्षेत्र के अंदर सुरक्षित वाहन चालन सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत उद्यान वाहनों के वाहन चालकों के लिए फोटोग्राफी करना प्रतिबंधित होगा।

(10) संरक्षित क्षेत्र के भार–साधक अधिकारी, रजिस्ट्रीकृत वाहनों के मालिक/ वाहन चालक द्वारा पर्यटन क्षेत्र में प्रवृत्त किसी नियम या अधिनियम की शर्तों के उल्लंघन की दशा में संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी रजिस्ट्रीकृत पर्यटन वाहन की प्रवेश अनुमति/रजिस्ट्रीकरण को कुछ अवधि के लिए रद्द कर सकेगा अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर सकेगा।

8. फिल्मांकन/ वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी हेतु दरें :

(1) पर्यटकों को सामान्य सफारी भ्रमणों के दौरान उनके स्टिल अथवा वीडियो कैमरे निःशुल्क उपयोग करने की अनुज्ञा होगी। पर्यटकों को उनके मोबाइल फोन या समकक्ष उपकरणों का फोटो खींचने के लिए उपयोग करने की अनुमति है। पार्क भ्रमण के दौरान मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखना उनके लिए अनिवार्य होगा। संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी इस संबंध में अतिरिक्त नियम लागू कर सकेगा।

(2) संरक्षित क्षेत्रों में विशेष फिल्मांकन / वीडियोग्राफी /फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा कैमरामेन के नाम से दी जाएगी। फीस निम्नलिखित सारणी के आधार पर होगी:–

अवधि	भारतीय शैक्षणिक/ अनुसंधान संस्थान; भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार के विभाग एवं संस्थान (फीस रू/दिन में)	अन्य (फीस रू./दिन में)	अभ्युक्तियां
प्रथम 7 दिन	रू.10,000	रू. 40,000	प्रति कैमरा मैन प्रति दिन
आठवें दिन से 15 वें दिन	रू. 7,500	रू. 30,000	
सोलहवें दिन से आगे	रू. 5,000	रू. 20,000	

(3) किसी संरक्षित क्षेत्र या चिड़ियाघर के लिए फिल्मांकन/ वीडियोंग्राफी/फोटोग्राफी अनुज्ञा–पत्र फीस का विनिश्चय करने हेतु, धारा 3 की उप–धारा (1) की सारणी प्रश्नगत विशिष्ट क्षेत्र की श्रेणी के पूर्व उल्लिखित गुणांक के धारा 8 की उप–धारा (2) में उल्लिखित दरों के साथ गुणा किया जाएगा। श्रेणी–छह के क्षेत्रों हेतु श्रेणी–पांच के अनुरूप गुणांक का उपयोग किया जाएगा। इस गुणन के परिणाम वास्तविक अनुज्ञा फीस प्राप्त करने के लिए 10/– रूपए या उसके गुणांक तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(4) धारा 8 की उप–धारा (2) में उल्लिखित दरें केवल तब लागू होंगी यदि फिल्मांकन/वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी के लिए अनुमति समय से परे तथा साधारण पर्यटकों के लिए मार्गों से हटकर मांगी जाती है। यह फीस वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी की पूरी अवधि के लिए अग्रिम देय होगी। यह अनुज्ञा साधारणतः खुले सीजन के लिए जारी की जाएगी और यह भागों में भी हो सकती है। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक की पूर्व अनुज्ञा से, विशेष कारणों से फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजन के लिए प्रवेश की अनुज्ञा, बंद अवधि के दौरान भी जारी की जा सकती है।

(5) कैमरामेन से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से फिल्मांकन/वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी की अनुज्ञा जारी की गई है। उसकी सहायता करने के लिए उसके साथ अधिक से अधिक दो व्यक्ति अनुज्ञात किए जा सकते हैं, किंतु उन्हें फोटोग्राफी/फिल्मांकन की अनुज्ञा नहीं होगी। तीन व्यक्तियों की इस टीम से पृथक् से कोई प्रवेश फीस का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(6) किसी राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य में वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा साधारणतया केवल प्राकृतिक सौन्दर्य, वन्य जीव अथवा क्षेत्र के प्राकृतिक इतिहास की रिकार्डिंग करने के लिए ही दी जाएगी। तथापि, सरकार विशेष परिस्थितियों के अधीन किसी अन्य कारण से ऐसे कार्य की अनुज्ञा दे सकेगी बशर्ते कि इससे क्षेत्र के पर्यावरण अथवा वन्यजीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ऐसी अनुज्ञा के लिए विशेष दरें प्रभारित की जाएंगी, जो किसी भी दशा में, उप–धारा (3) के अधीन विहित दर के पांच गुना से कम नहीं होगी।

(7) वन विभाग द्वारा बनाई जाने वाली या अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं के माध्यम से फिल्माई जाने वाली वन्यजीवन आधारित फिल्मों/वृत्तचित्र /दस्तावेज, जिनका उपयोग अनुसंधान, प्रशिक्षण, विस्तार, जागरूकता अथवा संरक्षण शिक्षा प्रयोजन के लिए किया जाना है, की वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/ फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा दी जा सकती है, जिसके लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी। समस्त ऐसी फिल्मों पर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

9. **हाथी पर भ्रमण :**

(1) हाथियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, विहित फीस के भुगतान उपरांत एंव संरक्षित क्षेत्र के भार–साधक अधिकारी द्वारा निर्धारित मार्गों पर पर्यटक हाथी से भ्रमण कर सकेंगे।

(2) हाथी पर सवारी आधा घंटों की होगी, जिसके लिए प्रतिव्यक्ति फीस रूपए 1,000/– होगी। 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को उनके माता पिता/अभिभावकों के साथ निःशुल्क अनुज्ञात किया जाएगा। 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए फीस रूपए 500/– होगी, किन्तु सीट की गणना के लिए इसे पूर्ण सीट के रूप में माना जाएगा।

(3) हाथी पर सवारी हेतु महावत के छोड़कर अधिकतम चार व्यक्तियों को अनुमत किया जाएगा।

(4) हाथी पर सवारी हेतु संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी अतिरिक्त नियम अधिरोपित कर सकेगा।

(5) ऐसे कैमरामैन की मांग पर, जिसने कि धारा 8 की उप–धारा (2) एवं (3) के अधीन वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/ फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा प्राप्त की है, हाथी तीन घंटों के लिए प्रति हाथी निम्नलिखित फीस के भुगतान पर दिया जा सकता है। उक्त फिल्मांकन हेतु, कैमरामेन के साथ हाथी पर अधिकतम एक सहायक को अनुमति दी जाएगी :

(एक)	भारतीय शैक्षणिक अथवा अनुसंधान संस्थान तथा भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश राज्य सरकार के विभागों और संस्थानों के लिए	रू. 6,000/–
(दो)	अन्य सभी व्यक्ति	रू. 24,000/–

10. **नौकायन :**

(1) ऐसे समस्त संरक्षित क्षेत्रों में, जहां उनके जलाशयों/नदियों/जल निकायों में नौकायन की संभावना हो, नौकायन हेतु नियम तथा विभिन्न प्रकार की नौकायन गतिविधियों के लिए दरें संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएंगी। ऐसी गतिविधियां मध्यप्रदेश के मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा अनुमोदन के पश्चात् प्रारंभ की जाएंगी।

(2) केवल राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य में मोटर चलित नौका द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति घण्टे नौकायन हेतु रूपए 150/– फीस होगी।

11. **स्थानीय गाइड / पर्यटक सहायकः**

(1) पर्यटन तथा फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजन के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले समस्त परिदर्शकों के साथ संचालक/क्षेत्र संचालक/वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी अथवा मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्त प्रतिनिधि/ रजिस्ट्रीकृत स्थानीय गाइड/ पर्यटक सहायक अनिवार्य रूप से होगा। एक स्थानीय गाइड/ पर्यटक सहायक वह व्यक्ति होगा, जो उस जिले या उन जिलों निवासी से संबंधित हो और सामान्यतः वहां निवास करता हो, जहां राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य स्थित है।

(2) **गाइड/पर्यटक सहायक के लिए न्यूनतम अर्हताएं :**

(क) गाइड श्रेणी जी–1: 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान, सभी स्तनपायी प्राणियों एवं सामान्य पक्षियों की पहचान, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके बारे में रोचक तथ्यों का ज्ञान, राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य के वनों के संबंध में सामान्य ज्ञान, वन्य प्राणियों के रास्तों एवं चिह्नों, वन्यप्राणी गणना एवं वन्यप्राणी गणना के आंकड़ों का ज्ञान, विवेचन केन्द्र, पर्यटन नियमों, क्या करें तथा क्या न करें, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्यों के भूगोल एवं भू–आकृति का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण–पत्र तथा गाइड के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव।

(ख) गाइड श्रेणी जी–2 : वन्यप्राणियों का ज्ञान, वन मार्गों का ज्ञान, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके संबंध में रोचक तथ्यों का ज्ञान, क्षेत्र के वनों एवं वन्यप्राणियों के विषय में सामान्य ज्ञान, वन्यप्राणी प्रबंधन, वन्यप्राणी के व्यवहार एवं रहवास आदि का ज्ञान, पर्यटन नियमों, 'क्या करें तथा क्या न करें' का ज्ञान, वनों तथा वन्यप्राणियों के बारे में और सीखने हेतु उत्सुकता।

(ग) पर्यटक सहायकः कोई भी स्थानीय व्यक्ति जो संरक्षित क्षेत्र के भीतर ट्रेकिंग, केंपिंग कर रहे पर्यटकों के साथ पर्यटक सहायक का काम करने हेतु इच्छुक हो।

(3) गाइड/पर्यटक सहायक हेतु फीस : गाइड/पर्यटक सहायक की सेवांए लेने हेतु निम्नानुसार होगी :–

अनुक्रमांक	श्रेणी	गाइड/ पोर्टर फीस (रू.)		
		वाहन में भ्रमण (एक राउंड)	ट्रैकिंग/साइकिलिंग (प्रतिदिन)	कैम्पिंग (दो दिन एंव एक रात्रि)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जी-1	रू.500	रू.1000	रू.2000
2	जी-2	रू.360	रू.700	रू.1400
3	पर्यटक सहायक	–	रू.500	रू.1000

(क) पूरे दिन के लिए सेवाएं लिए जाने की दशा में गाइड को ट्रेकिंग/साइकिलिंग हेतु नियत दरों से भुगतान किया जाएगा।

(ख) **विशेष दर्शनीय स्थलों पर सेवाएं प्रदान करने वाले गाइड हेतु फीसः** केन घड़ियाल अभ्यारण्य के रनेह फाल, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पांडव फाल आदि जैसे स्थानों हेतु जहां कि गाइड की सेवाएं अल्पावधि के लिए ली जाती हैं, वहां सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र का प्रबंधक स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आनुपातिक दरें नियत करेगा।

2. **पर्यटन अवधि, क्षेत्र का विनियमनः**

(1) सामान्यतः वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, घुघवा, डायनासोर फासिल राष्ट्रीय उद्यान, रालामण्डल अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य, ओरछा अभ्यारण्य, केन घड़ियाल अभ्यारण्य के रनेह फाल, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पांडव फाल, पचमढ़ी के दर्शनीय स्थल, चिड़ीखोह (नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य), भीमबैठका, रातापानी अभ्यारण्य में बरूसोत व देलाबाड़ी, मुकुन्दपुर चिड़ियाघर, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के लिए कोई बंद अवधि नहीं होगी। संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी की

अनुशंसा पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक किसी क्षेत्र को वर्षभर खुला रखने हेतु घोषित कर सकेगा। किंतु ऐसा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उससे होने वाले संभावित दुष्प्रभावों का आकलन कर ऐसे संभवित दुष्प्रभावों को कम करने हेतु प्रभावी प्रबंधन व्यवस्था नहीं कर ली जाए।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों के अन्दर अन्य समस्त स्थानों के लिए 1 जुलाई से 30 सितम्बर के बीच की अवधि में पर्यटन या फोटोग्राफी के लिए प्रतिबंधित अवधि रहेगी। और पर्यटन वर्ष की शेष अवधि पर्यटन एवं फोटोग्राफी के लिए खुली अवधि होगी। तात्कालिक मौसम परिस्थितियों एवं अन्य स्थानीय कारकों के आधार पर संरक्षित क्षेत्र को भारसाधक अधिकारी 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के मध्य सीमित क्षेत्रों वन मार्गों को पर्यटन हेतु खोलेगा।

(3) राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य के अन्दर वाहनों द्वारा भ्रमण सूर्योदय एवं सूर्यास्त की समयों के आधार पर होगा और तद्नुसार परिवर्तित किया जाएगा। प्रवेश एवं निर्गम का वास्तविक समय अधिसूचित किया जाएगा तथा प्रवेश द्वारा के सूचना पट पर प्रदर्शित एवं अनुज्ञापत्रों पर मुद्रित किया जाएगा। टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में अवस्थित पर्यटन जोन में पर्यटक कोर क्षेत्र में पर्यटन जोन हेतु अधिसूचित समय के आधा घंटों पश्चात् आ सकेंगे।

(4) राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य के अन्दर अन्य पर्यटन गतिविधियों हेतु, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के मध्य का समय क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिश्चित तथा अधिसूचित किया जाएगा।

(5) स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी किसी दिवस या किसी अवधि हेतु प्रवेश/निर्गम के समय में परिवर्तन कर सकेगा।

(6) पर्यटन के लिए खुले मार्गों और इन मार्गों पर अनुमत किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों की अधिकतम संख्या स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

(7) यदि आवश्यक हो तो, संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी धारा 28(1) के अधीन वर्णित प्रयोजनों के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई क्षेत्रों या मार्गों को बन्द विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

3. **विशेष फीस :**

किसी संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी को मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, के परामर्श से कम–से–कम दो माह की सूचना देने के पश्चात् पर्यटक यातायात के परिणामस्वरूप वन्य जीवन तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को विनियमित करने

के उद्देश्य से लिखित आदेश के माध्यम से किसी संवेदनशील या विशिष्ट क्षेत्रों/मार्गों/ गतिविधियों के लिए विशेष दरें अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

14. **पर्यटन से होने वाली आय का स्थानीय समुदायों के साथ बांटा जाना :**
टाईगर रिजर्व तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रों के आस–पास पर्यटन प्रारंभिक रूप से वन्यजीव संसाधनों के अक्षय उपभोग से अनवरत है, और स्थानीय समुदायों को मांसाहारी वन्यप्राणियों के द्वारा पालतु पशुओं के शिकार और जंगली शाकाहारियों द्वारा फसलों के विनाश एवं आय में कमी के रूप में संरक्षण की कीमत चुकानी पड़ती है। एक वर्ष में उस संरक्षित क्षेत्र की विकास निधि में जमा की गई समस्त पर्यटन प्राप्तियों का एक तिहाई उस संरक्षित क्षेत्र की ईको विकास समितियों के साथ बांटा जाएगा।

15. **विविध :**

(1) कोई अन्य पर्यटन सेवा या गतिविधि जो इन नियमों में उल्लिखित नहीं है या उल्लिखित की गई है परंतु प्रबंधन दृष्टिकोण से अब तक नहीं की गई है, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश की पूर्वानुमति से प्रारंभ की जा सकती है। किंतु ऐसा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसी गतिविधियों से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों का आंकलन न कर लिया गया हो और उनको नियंत्रित करने हेतु आवश्यक प्रबंधन व्यवस्था नहीं कर ली गई हो।

(2) संरक्षण संबंधी मुद्दों पर एवं पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों के बीच बेहतर समझ विकसित करने के लिए स्थानीय निवासियों "जंगल वालों के साथ एक शाम" कार्यक्रम के लिए इच्छुक समस्त स्थानीय निवासियों एवं पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।

(3) किसी मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या, इसकी धारण क्षमता के आधार पर सीमित करेगा। इसके अतिरिक्त, वह अन्य गतिविधियों जैसे नौकायन, ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाथी पर भ्रमण, नेचर ट्रेल आदि के लिए पृथक्–पृथक् धारण क्षमता का भी विनिश्चय करेगा।

(4) वन्यप्राणी संरक्षण या प्रबंधन के दृष्टिकोण से अपरिहार्य परिस्थितियों के अधीन संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति या सभी व्यक्तियों द्वारा प्रवेश भ्रमण अथवा किसी मार्ग या स्थल का उपयोग प्रतिबंधित किया जा सकता है।

(5) फिल्मांकन, नौकायन, वाहन से वन्यप्राणी दर्शन, हाथी पर भ्रमण, ट्रैकिंग, नेचर ट्रेल, कैपिंग एवं वॉच टॉवर/मचान/हाइड, आदि के उपयोग एवं भविष्य में प्रारंभ की जाने वाली किसी अन्य गतिविधि के लिए विस्तृत दिशानिर्देश मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, द्वारा जारी किए जाएंगे, जो इन नियमों का भाग गठित करेंगे।

(6) शासन को विशिष्ट आदेशों के अधीन के सिवाय राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों के भीतर कोई सभाएं, सम्मेलन, बैठकें, आदि आयोजित नहीं की जा सकती है। यह प्रतिबंध मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी सलाहकार मंडल, मध्यप्रदेश के वन अधिकारियों की बैठकों, वन अधिकारियों एवं वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन में प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों संबंधित प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाओं पर लागू नहीं होगा।

(7) किसी संरक्षित क्षेत्र में कोई भी विज्ञापन, साइनबोर्ड, बैनर तथा चार्ट आदि अनधिकृत रूप से प्रदर्शित करना, चिपकाना या लगाना निषिद्ध होगा।

(8) कोई भी व्यक्ति किसी संरक्षित क्षेत्र में किसी भी वृक्ष, पुल, चट्टान, बागड़, सीट, नोटिस बोर्ड, कूड़ादान अथवा अन्य किसी भी वस्तु अथवा स्थल पर लिखी गई बात अथवा चिन्ह आदि को नष्ट नहीं करेगा, क्षति नहीं पहुंचाएगा अथवा उसे विरूपित नहीं करेगा।

(9) पर्यटन और फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजन से वन्यप्राणियों को देखने के लिए स्पॉट लाइट का उपयोग प्रतिबंधित है।

(10) प्रवेश अनुज्ञा की शर्तों अथवा प्रबंधन द्वारा जारी किए गए किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध कारवाई की प्रकिया :–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने पर्यटन के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया हो और प्रवेश अनुज्ञा की शर्तों अथवा प्रबंधन द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन किया हो, परिक्षेत्र अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी रूपए 2,000/– की क्षतिपूर्ति लेने का हकदार होगा, इनके अतिरिक्त सक्षम वन अधिकारी, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) तथा किन्हीं अन्य विधिक उपबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर उक्त अधिनियम अथवा किसी अन्य नियम के उपबंधों विधिक कार्रवाई कर सकेगा। संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी उसके प्रवेश अनुज्ञा की शेष अवधि के लिए उसके प्रवेश को या तो अंशतः या पूर्णतः प्रतिबंधित भी कर सकता है। ऐसी क्षतिपूर्ति व्यक्तियों से मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा जारी विस्तृत निर्देश के अनुसार वसूल की जाएगी।

(ख) कैमरामेन अथवा फोटोग्राफी/फिल्मांकन टीम के उसके सहायक द्वारा कोई उल्लंघन किए जाने पर, सक्षम वन अधिकारी द्वारा विधिक कार्रवाई के अतिरिक्त, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा उसकी अनुज्ञा की शेष अवधि के किसी भाग अथवा पूर्ण अवधि के लिए उसका प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(ग) रजिस्ट्रीकृत वाहन/नौका के चालक/नाविक द्वारा और उसमें उपस्थित गाइड द्वारा कोई उल्लंघन किए जाने पर, सक्षम वन अधिकारी द्वारा विधिक कार्रवाई के साथ–साथ, परिक्षेत्र अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी रूपये 2,000/– की क्षतिपूर्ति वसूल करने का हकदार होगा। प्रथम उल्लंघन की दशा में, उनका प्रवेश, साथ ही उनके वाहन/नौका का प्रवेश सात दिन के लिए, दूसरी बार उल्लंघन किए जाने की दशा में, एक मास के लिए और तीसरी बार उल्लंघन किए जाने की दशा में, शेष पर्यटन वर्ष (अगले केलेण्डर वर्ष की 1 जुलाई से 30 जून) के लिए संरक्षित क्षेत्रों में अन्य विधिक कार्रवाईयों के साथ प्रतिबंधित किया जा सकेगा। ऐसे रजिस्ट्रीकृत वाहन/नौकाएं और उनके चालक/नाविक तथा प्रकृतिवादी/गाइड जिन्हें पिछले दो वर्षों के दौरान तीन बार दंडित किया गया हो, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा, राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य में अगले दो वर्ष के लिए प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक व्यक्तियों से ऐसी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी करेगा।

(घ) कोई आदतन अपराधी या घोर कदाचार अथवा नियमों के भंग में लिप्त कोई व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

(ड.) इस उप–धारा के अधीन किसी व्यक्ति के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(11) दीपावली तथा होली के शासकीय अवकाशों पर समस्त संरक्षित क्षेत्र पर्यटन और वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, ऐसे अन्य दिनों का, जिनको कि पर्यटन और वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए संरक्षित क्षेत्र बंद रहेंगे, विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

Bhopal, the 29th May 2018

F 14-82/1988/10-2 In exercise of the powers conferred by sub section (1) and clause (h) of Sub-Section (2) of Section 64, read with Section 28 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rules, 1974, namely : -

AMENDMENTS

In the said rules, for Rule 34, the following shall be substituted, namely:-

"34. Entry fee and conditions of entry permit under Section 28 for entry into National Parks and Sanctuaries and under clause (h) of Sub Section (2) of Section 64 for entry into buffer areas of tiger reserves and zoos managed by Forest Department -

1. Entry Permit:

(1) No person shall enter any National Park, Sanctuary, Buffer areas of Tiger Reserves or Zoos managed by Forest Department, for the purposes mentioned under sub-section (1) of Section 28, without a valid permit issued by Chief Wildlife Warden Madhya Pradesh or by an officer authorized by him for this purpose and as per the conditions and on payment of such fees as prescribed in this rule.

(2) Entry permit is individual, non-transferable and valid for entry for the period mentioned in the entry permit.

2. Exemptions in permit fee for Special Circumstances:

(1) No entry fee shall be charged for entry in National Parks, Sanctuaries, Buffer Areas of Tiger Reserves and Zoo for following purposes, namely:-

(a) study or investigation of wildlife and its ancillary objectives;

(b) scientific research;

(c) transaction of lawful business with any person residing in the National Park or Sanctuary;

(d) authorized study tours of the students of recognized educational institutions of the villages situated in the buffer zones of the tiger reserves and within 5 km boundary of National Parks and Sanctuaries or the authorized study tours of the members of Eco-Development Committees;

(e) authorized study tours of the students, trainees, instructors and support staff of training and research institutes of Ministry of Environment and Forest & Climate Change, Government of India or Forest Departments of various States;

(f) Participants of Anubhuti programme and Mowgli festival during the programme, the winners of Wildlife Week programme, one time as a prize;

(g) Entry of children up-to 5 years of age.

(2) 50 percent exemption in the regular entry fee shall be given to the students of recognized educational Institutes, not covered under clause (d) of Sub rule (1), provided prior intimation is given for such authorized study tours. This facility for students of an institution will be provided only for one round, once during the open period of entire tourism year, that is 1st July 30th June.

(3) Chief Wildlife Warden of Madhya Pradesh or the officer in-charge of the protected area, buffer zone of tiger reserve or zoo can give full exemption from entry fee to any person or a group under special circumstances, within the limits of maximum carrying capacity.

(4) Eligibility and conditions of entry permits for the purposes mentioned in clause (a), (b) and (c) of Sub rule (1) shall be ascertained separately by the Chief Wildlife Warden based on the requirements of a particular protected area.

3. Classification of areas and entry fee for the purpose of tourism

(1) Classified table of Wildlife Tourism Areas

Sr	Class	Details of protected area included	Class Coefficient/ Table
1	Class-1	Tourist zones extended completely in Core areas of tiger reserves, including the sanctuaries notified as core area and zones which are partially extended in both core and buffer areas.	1
2	Class -2	Tourism zone extended completely in buffer areas of tiger reserve; and Phen Sanctuary.	0.8
3	Class -3	Madhav National Park; Gandhisagar, Nauradehi, Ratapani, Kuno Palpur and Kheoni Sanctuary.	0.5
4	Class -4	(a) Fossil National Park, Ghughuwa and Dinasour Fossil National Park, Dhar (b) Sailana, Sardarpur, Ghatigaon, Karera, Ken Gharial, Son Gharial, National Chambal, Narsinhgarh, Bagdara Virangana Durgavati, Singhori and Orchha Sanctuary. (c) All specific sites and view-points inside any one of the above categories, designated by the authorized officer for tourism purposes.*	0.2
5	Class -5	Any one specific site or view-point inside any one of the above categories, designated by the authorized officer for tourism purposes.	0.1
6	Class -6	Van Vihar National Park, Ralamandal Sanctuary and Mukundpur Zoo	Table 3(4)

(a) The rates for entry fee for any protected area or buffer zone of tiger reserve or zoo, shall be obtained by multiplying the rates mentioned in table (a) and (b) of sub-rule (2) with the class coefficient mentioned in the above table. The outcome of this multiplication will be rounded off to next multiple of Rs. 5/- (for amount up till Rs. 100/-) or Rs. 10/- (for amount equal or more than 100/-) or to get the actual entry fee.

(b) *These rates are for one round and permit will be valid only for a day. For Pachmarhi, tourists may obtain special permit with 3 days validity for visiting all the designated specific sites and view-points, by paying double the rate.

(2) Entry fee for vehicle based tourism

(a) Entry fee for tourist vehicles registered with the management.

S.No.	Type of permits	Rate (Amount in Rs.)
1.	Single seat permit (Light motor vehicle and Mini Bus)	250
2.	Full vehicle permit (Only Light motor vehicle, maximum 6 tourists)	1500

(b) Entry fee for tourism by private unregistered vehicle, where such vehicles are allowed by the management.

Sr. No.	Type of permit	Rates (Amount in Rs.)
1.	Two wheeler (Scooter, Motor Cycle and other two wheeler motor vehicle, maximum 2 person)	1000
2.	Auto Rickshaw (maximum 3 persons)	2000
3.	Light motor vehicle (maximum 6 persons)	3000
4.	Bus/Mini bus	6000

(c) The fee mentioned in (a) above is just for entry permit. The vehicle charges for registered tourist vehicle is payable separately to the owner of the vehicle before the trip. Guide fee is also not included in (a) and (b) above, which is payable separately to the guide.

(d) For the single seat permit mentioned in (a) above, the tourist vehicle charge and the guide fee will be distributed equally amongst the tourists present in the vehicle and will be payable at the time of entry.

(e) Drivers and guides shall not be counted in the numbers of persons allowed in a vehicle.

(f) Depending upon the local conditions of the tourism road and to ensure the tourists safety etc. the officer in-charge of the protected area shall decide class/ type of vehicle which may be allowed for entry inside Protected Area for tourism purposes.

(g) In case of non availability of registered vehicles in sufficient number or due to some other local factors, the park management after issuing an order, can allow the entry of un-registered vehicle for tourism. For the online booked permits, the difference in entry fee shall be payable by the tourists at the time of park entry.

(h) For the children aged between 5-12 years entry fee for single seat permit shall be half of the fee mentioned in table-(a) of Sub Section (2) of Section 3 a seat will be provided to them in the safari vehicle. Children below five year of age will be entitled for free entry and they will share the seat occupied by their parents.

(i) If a tourist has permit for complete safari round in either of tourism zone after paying entry fee for a visit by vehicle as per the class-1, class-2, class-3, class-4(b) he may visit view point/ special site situated within the tourism zone without paying any extra fee. If any tourist want to visit only notified view point/ special site situated inside the protected area then he has to pay the fee as per the class-4(c)/class 5 in above table. Tourist who will take such permits can visit the view point/ special site by the route and time decided by the management.

(j) The officer in-charge of the protected area, on receiving request from Hotel/ Resort/ Lodge operational nearby the protected area, shall register the naturalist in limited number for the Hotel/ Resort/ Lodge for one year with a registration fee per naturalist Rs 10,000/- and issue an I-card.

(k) Subject to seat availability in registered tourist vehicle, these registered naturalist may enter in tourist vehicle along with the tourists holding valid permit, even if their name is not mentioned on the permit, as an affiliate. In such vehicles the park guides will also be present and render their services as before.

(3) Entry fee for activities other than park safari by vehicle :

(a) Fee Table

Serial No.	Purpose of entry	Fee per tourist
(1)	(2)	(4)
1.	Walk/Trekking/ Cycling (on specified routes earmarked by the officer in-charge of the protected area)	₹250
2.	Wildlife Viewing from specified Hide/ Machan/ Watch Tower	₹600
3.	Camping (Only in the premises earmarked by the officer in-charge of the protected area)	₹1500

(4) Entry fee for Van Vihar National Park, Ralamandal Sanctuary and Mukundpur Zoo.

(a) Fee Table

(Amt. in Rs.)

Serial No.	Purpose of visit	Entry Fee for Tourists
1.	Visit by walk	20/- per person
2.	On Bicycle (One person)	30/- per Bicycle
3.	Two wheelers (maximum 2 persons)	60/- per motor vehicle
4.	Auto Rikshaw (Maximum 4 person including driver)	120/- per vehicle
5.	Light Motor Vehicle (Upto 5 person capacity)	250/- Per Vehicle
6.	Light Motor Vehicle (More than 5 person capacity)	400/- Per Vehicle
7.	Mini bus (upto 20 person capacity)	1000/- Per Vehicle
8.	Bus (more than 20 person capacity)	2000/- Per Vehicle
9.	Safari by management vehicle or visit by Golf cart	50/- per person and entry fee

(b) The above mentioned rates are generic rates for class six areas. The officer in-charge of protected area/ zoo will decide that what activities are feasible in their area and accordingly take entry fee to issue entry permit for feasible activities.

(c) The fee per vehicle, mentioned on Sr. 2-8 is inclusive of entry fee for the tourists. The number of tourists present in the vehicle shall not be more than the registered passing capacity of the vehicle.

(d) The Safari fee mentioned on Sr. 9 is excluding of entry fee mentioned w.r.t. Sr. 1-8.

(e) Minimum number of tourists, required for Safari vehicle to operate, will be decided by the management. In case of insufficient number of tourists available for Safari, the willing tourists may avail the Safari by paying the fee for minimum required persons.

(5) Park visit, for limited period and routes decided by the management, on daily basis. Monthly/ yearly / life time entry fee for entry by walk or by bicycle, in Van Vihar National Park/Ralamandal Sanctuary.

Sr. No	Mode of entry	Monthly Fee	Annual Fee	Life time Fee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	By walk	₹300	₹3000	24000	Per person. Regular entry pass will be issued by the Director or an officer authorized by him for this purpose.
2.	Bicycle	₹450	₹4500	₹30000	

(6) As per the peculiarities and local conditions of the area, the officer in-charge of the protected area shall decide the suitable activities for the area from the above mentioned activities and operate the same. He may also include any new activity for tourist. To introduce any new activity he shall, after deciding the area and fee of the activity, take approval from the PCCF (Wildlife) and Chief Wildlife Warden.

4. Issuing of online permits:

(1) For those protected areas where the number of vehicle permits available for daily issuing is fixed as per the tourist carrying capacity calculation, the total number of daily available permits will be available online/ tourist gate as per the following percentage. Figures will be rationalize to obtain the actual number of permits as per the percentage:

Single Seat permit (Online)	Single seat permit (at the tourist gate)	Field Dir. Quota	Full vehicle permit (Online)
10%	10%	10%	Rest of the Permits

(2) For those tourism areas where tourist carrying capacity and upper limit of permits to be issued daily is not decided, Chief Wildlife Warden may decide the carrying capacity of such areas. The officer in-charge shall decide the number of permits available for online bookings.

(3) At the tourist gate permit will be available 5 PM onwards, a day before the Safari date. The actual time of booking shall be decided by officer in-charge of the Protected Area.

(4) Confirmed single seat permit holders have to arrive at the assigned entry gate half an hour before the entry time and show their permit and ID Card at the counter. If they fail to reach half an hour before the entry time, their permit will be considered automatically cancelled. Such permit will be available for booking as single seat permit at the entry gate.

(5) Full vehicle permit holders tourists, may arrive till one hour after the entry time during morning safari and till half an hour after the entry time during evening safaries, have to show their permits and ID card at the gate. If they fail to arrive by this time, their permit will be considered automatically cancelled and such permit will be available for booking as single seat permit at the entry gate. For such available permits tourists may enter the park up till next 30 minutes. Other than the condition when the permit is issued after any pre-booked permit holder failed to arrive on time, generally tourist and should not be allowed one hour after the park entry time.

(6) It shall be compulsory to keep any valid identity proof (Adhar card, Passport, Driving license, PAN Card, Voter ID, any other ID issued by Central or State Govt., I Card issued by School/ College) for all Indian visitors listed in the entry permit. Entry permit will be cancelled if the identities of the persons mentioned in entry permit cannot be ascertained.

(7) It shall be compulsory to keep Passport as their identity proof for all foreigners listed in the entry permit. Entry permit will be cancelled if the identities of the persons mentioned in entry permit cannot be ascertained.

(8) Under the online booking system, once all the available full vehicle permits will be booked for the particular tourism area, wait list permits will be issued online in limited numbers(10% of online permits, after rationalization), for the willing tourists. Waitlist permits will be confirmed on priority in the case of cancellation of confirmed permits. If the wait list permit not get confirmed 5 days before the Safari, it will automatically get cancelled and entry fee charged for booking will be refunded after deducting the portal fee.

5. Add-on facility :

(1) For those protected areas where online permits bookings facility is operational, for already booked full vehicle permit, the names of visitors can be added online, upto the maximum capacity of the vehicle, with following conditions :

(a) Minimum two tourists names are mentioned in the originally booked permit.

(b) At least two tourists, on whose names original permits were booked, have to be present during park visit, otherwise the permit will be considered cancelled.

(c) The provision mentioned in clause (b) will be applicable to only those permits where it carries both type of tourist, originally booked and added using this facility. Those permit where add on facility is not availed, if first two or any other tourist is absent at the time of safari, the permit will hold and the other present tourist may go for safari.

(d) Only in one go, upto four add on tourists names can be added into the permit. For such addition, an extra fee equal to the cost of one permit, i.e. Rs. 1,500/- for core areas of tiger reserve and for other areas based on table (1) of Sec. 3 and Table (a) and (b) of Sub Section (2) of Section-3, will be payable.

(e) Add-on facility will be availed only upto 2 days before (excluding the safari date)the safari date. (Example for safari of 5 Nov. add-on will only be possible upto 5 PM of 2nd Nov.)

(f) Add-on facility shall not be used after availing the re-scheduling facility.

i. Cancellation/ Re-scheduling of entry permit :

(1) In the tourism areas where carrying capacity is fixed, tourist may one time re-schedule their travel date and tourism zone (of the same protected area) on their online booked safari permit subject to availability or cancel. For such cancellation/ re-scheduling they have to pay charges prescribed in following table.

(2) Table

Serial No.	Details	Amount refunded after cancellation	Amount charged for rescheduling
1.	Cancellation/Re-scheduling of permit 30 days or before Entry/ Safari date.	Complete amount of permit fee after deducting portal fee.	Only portal fee.
2.	Cancellation/Re-Scheduling of permit between 29 to 15 days prior to Entry/ Safari date.	Rest of amount after deducting 50% permit fee and portal fee	50% of permit fee and portal fee.
3.	Cancellation of permit between 14 to 5 PM a day prior to Entry/ Safari date.	Rest of amount after deducting 75% permit fee and portal fee.	75% permit fee + portal fee.

(3) The online booked permits, if cancelled/ rescheduled 5 days or before the safari, the permit will be available online for booking by other tourists. In case of cancellation/rescheduling of permit 5 or less days before the safari up-till 5PM a day prior to the safari date, the permit will be available at Field Director quota for booking. After 5 PM, a day prior to the Safari date cancellation/ re-scheduling will not be possible.

(4) If cancellation facility is availed after re-scheduling, refund amount post cancellation will be calculated as per the applicable percentage of original permit fee (For Core areas of Tiger Reserve Rs. 1500/- or for other areas fee decided as per table (1) and (2) of sub section 3).

(5) If cancellation is availed after availing the add-on facility, refund amount post cancellation will be calculated as per the applicable percentage of original permit fee + add-on fee (For Core areas of Tiger Reserve Rs. 3000/- or for other areas fee decided as per table (1) and (2) of sub section 3).

(6) If re-scheduling is availed after availing the add on facility, re-scheduling fee will be calculated as per the applicable percentage of original permit fee (For Core areas of Tiger Reserve Rs. 1500/- or for other areas fee decided as per table (1) and (2) of sub section 3).

7. Regulation of vehicles entry inside the protected area for tourism-

(1) The officer in-charge of protected area shall register the vehicle for the tourism purposes inside his protected area for one tourism year. He will decide the minimum eligibility standard for the vehicles and drivers depending upon the topographical peculiarities, tourism needs and other local factors of the area. He may restrict the entry of certain class of vehicle.

(2) The officer-in-charge of the protected area depending upon the tourist carrying capacity, visiting trend of tourist in the area, availability of new tourism zone and after discussion with stakeholders, shall decide the number of registered vehicles. If the present number of tourist vehicle is less than such decided number then new tourist vehicle may be registered. If present number of tourist vehicle is more than such decided number then all vehicle may be registered.

(3) All registered vehicle will operate under a roster system. The roster system will be managed by the association of tourist vehicle, registered before the officer-in-charge of the protected area or by the procedure decided by the management of the protected area depending upon local conditions.

(4) The tourist bus operated by Madhya Pradesh Tourism or any tourist vehicle operated by the protected area management will be not be part of roster system.

(5) The vehicle hire charges, for the registered tourist vehicle used for park visit from the entry gate, shall be paid by the tourist. The hiring fee for such visit shall be decided by the officer in-charge of protected area after considering the length of road in tourism zone, safari duration and topography of the area and taking applicable rates notified by Madhya Pradesh Tourism as a base.

(6) If any tourist/ group of tourist wish to visit the park by a registered tourist vehicle other than the registered vehicle allotted to him through the roster then he will have to pay the 70% of the applicable vehicle hire charges as compensation to the vehicle made available by the roster. After receiving such compensation the vehicle will be considered non-available till the completion of roster and once the roster will get completed the particular vehicle will again the available in the roster.

(7) The officer-in-charge of the protected area or his representative or committee constituted by him, every year before the beginning of the tourism season, shall check the fitness of all the vehicle and the minimum eligibility standard for the vehicles and drivers, before their registration as tourist vehicle.

(8) For all registered vehicle a registration fee of Rs. 2,000/- will be payable. Such fee will be deposited in the park development fund of the protected area.

(9) To ensure safe driving, during tourism time inside the protected area photography will be prohibited for the drivers of registered park vehicles.

(10) In case of violation of conditions of any Rule or Act enforced in the tourism area by the owner/driver of the registered vehicle, the officer-in-charge of the protected area may cancel the entry permission/ registration of registered tourist vehicle for certain period or may imposed the compensation.

8. Rates for filming/ Videography/Photography:

(1) Visitors shall be permitted to use their still or video cameras, free of cost during normal safari rounds. Tourists are allowed to use their mobile phones or similar equipment for photography. It will be mandatory for them to keep their phones in silent mode during safari. Officer in-charge of Protected Area may impose additional rules in this regard.

(2) Permission for special filming / Videography/ Photography in the protected area shall be given by the Officer-in-charge of Protected Area by the name of the cameraman. Fee shall be based on following table:-

Duration	**Indian Educational/Research Institutes; Departments and Institutes of Government of India and State Government of Madhya Pradesh**	**Others**	**Remarks**
First 7 days	₹10000	₹40000	Per camera man per day
8th to 15th day	₹7500	₹30000	
16th day onwards	₹5000	₹20000	

(3) To decide the filming/ Videography/Photography permit fee for any protected area or zoo, the co-efficient mentioned before the class of particular area in question in table sub section (1) of Section 3 will be multiplied with rates mentioned in sub section (2) of Section 8. For the class six areas coefficient as per class five will be used. The outcome of this multiplication will be rounded off to Rs. 10/- or its multiple to get the actual permit fee.

(4) The rates mentioned in sub-section (2) of section 8 shall be applicable only if permission is asked for filming/videography/photography beyond the time and away from the routes for ordinary tourists. This fee shall be payable in advance for the entire period of Videography/ filming/photography. This permission shall generally be

issued for the open season and it can be in parts also. With the prior permission of Chief Wildlife Warden, permission for entry for the purpose of photography/ filming for special reasons can be issued during the closed period also.

(5) Cameraman means a person in whose name the filming/videography/ photography permission has been issued. At the most two persons can be permitted with him to assist him, but they will not have permission for photography/filming. This team of three persons will not be required to pay any entry fee separately.

(6) Permission for Videography/Filming /Photography in a National Park or Sanctuary shall ordinarily be given only for recording the natural beauty, wildlife or natural history of the area. However, the Government may permit such work for any other reason, under special circumstances, provided it does not adversely impact the ecology or wildlife of the area. Such permission shall be charged at special rates, which shall in no case be less than five times the rate prescribed under sub-sec (3), as the case may be.

(7) Permission for Videography/Filming/Photography of wildlife based films/documentary/documents made by the forest department, or filmed through other persons or institutions that will be used for research, training, extension, awareness or conservation education purpose, can be given by the Chief Wildlife Warden for which no fee shall be charged. Copyright of all such films shall be reserved with the Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh.

9. Elephant Rides:

(1) Subject to availability of elephants, tourists may go for elephant safari after paying the prescribed fee and on the routes decided by the in-charge officer of protected area.

11. Local Guides/ Tourist assistant :

(1) All visitors entering the protected area for the purpose of tourism and photography/filming shall be accompanied compulsorily by a nominated representative/registered local guides/tourist assistant licensed by the Director/Field Director/Officer in-charge of a forest circle, or by any other officer authorized by the Chief wildlife Warden. A local guide/ tourist assistant shall either be a person who belongs to and is ordinarily resident in the district or districts in which the national park or the sanctuary is situated.

(2) **Minimum Qualifications for Guides/Tourist assistant :**

(a) Guide category G-1 : Class 12th pass, working knowledge of English, identification of all mammals and common birds, identification of common trees and knowledge of interesting facts about them, general knowledge about forests of the National Park/Sanctuary, knowledge of animal tracks and signs, wildlife census and census figures, knowledge of interpretation centre, tourist rules, do's and don'ts, geology and geomorphology of the National Park/Sanctuary, certificate of first aid and a minimum experience of 3 years as a guide.

(b) Guide category G-2 : Knowledge of wildlife, knowledge of forest roads, identification of common trees and knowledge of interesting facts about them, general knowledge about the forests and wildlife of the area, knowledge of wildlife management, animal behavior, habitat etc., knowledge of tourist rules, do's and don'ts, Eagerness to learn more about forests and wildlife.

(c) Tourist assistant : Any local person willing to work as tourist assistant with tourists who are trekking or camping insight protected area.

(2) Elephant ride will be for half an hour for which per person fee will be Rs. 1,000/-. Children up to 5 years of age shall be allowed free, along with their parents/guardians. Fee for the child between 5-12 year will be half i.e. Rs. 500/-, but But for the calculation of seat, it will be considered as a full seat.

(3) Maximum four persons shall be allowed to ride on an elephant, excluding Mahout.

(4) The Officer-in-charge of Protected Area may impose additional rules for Elephant ride.

(5) On the demand of the cameraman, who has taken permission for Videography/ Filming / Photography under sub-sec (2) and (3) of sec 8, if available, the elephant can be given for three hours, on payment of following fee per elephant. For such filming, maximum one assistant will be allowed on elephant with cameraman.

(i)	For Indian educational or research institutes and Departments and Institutes of Government of India and State Government of Madhya Pradesh	₹ 6000/-
(ii)	All other persons	₹ 24000/-

10. Boating:

(1) In all the protected areas, where there is the potential for boating in their reservoirs/rivers/water-bodies, rules for boating and the rates for different types of boating activities shall be decided by the officer in-charge of the protected area. Such activities shall be started after approval by the Chief Wildlife Warden of Madhya Pradesh.

(2) Only in National Chambal Sanctuary, the fee of boating by motor boat shall be ₹ 150 per person per hour.

(3) Fees for Guides/ Tourist assistant : Fee for hiring guide/tourist assistant shall be as follows

Sr. No.	Category	Guide/ Porter Fee (Rupees)		
		Excursions in Vehicles (one round)	Trekking/ Cycling (per day)	Camping (two day and one nights)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	G-1	₹500	₹1000	₹2000
2	G-2	₹360	₹700	₹1400
3	tourist assistant	-	₹500	₹1000

(a) In case when engaged for the whole day guides shall be paid at the rates for trekking/cycling.

(b) Fees for Guides engaged at special scenic spots: For places such as Raneh Falls of Ken Gharial Sanctuary, Pandav Falls of Panna National Park etc., where the guides are engaged for a shorter duration, the respective protected area manager shall fix the proportional rates based on local conditions.

12. Regulation of Tourism period, area :

(1) Ordinarily there shall be no closed period for Van Vihar National Park, Madhav National Park, Fossil National Park Ghughwa, Dinosaur Fossil National Park, Ralamandal Sanctuary, Sailana Sanctuary, Sardarpur Sanctuary, Orchha Sanctuary, Raneh Falls of Ken Gharial Sanctuary, Pandav Falls of Panna National Park, Tourist spots of Pachmarhi, Chidikhoh (Narsinhgarh Sanctuary), Bhimbathika, Barrusot and Delawadi in Ratapani Sanctuary, Mukundpur Zoo, Buffer areas of Tiger Reserve. CWLW, on the recommendation by the officer in-charge of protected area, may declare any area to be opened all year round but But this will not be done until the adverse impacts of such have been assessed and effective management system has been put in place to mitigate such adverse impacts.

(2) Except above, for all the other places inside National Parks and Sanctuaries, period between 1st July to 30th Sept. shall be the prohibited period for tourism or photography and the rest period of the tourism year shall be the open period for tourism and photography. The officer in-charge of protected area, depending upon the prevailing weather conditions and other locality factors, shall 'open limited areas/forest roads for tourism between 1st to 15th October.

(3) Excursions by vehicles inside National Park/Sanctuary shall be based on the timings of sunrise and sunset shall be modified accordingly. Actual entry and exit times shall be notified and placed on the notice board at the entry gate and printed on the permits. In the tourism zone situated within the buffer area of tiger reserves, tourist may come half an hour after the time notified for tourism zone in core area.

(4) For other tourism activities inside National Park/Sanctuary timings between sunrise and sunset, shall be decided and notified by the officer in-charge of the area.

(5) Depending upon the local conditions the officer in-charge of the protected area may change the entry/ exit timing for a day or for a duration.

(6) Open Routes for tourism and maximum number of vehicles of various types to be permitted on these routes shall be decided by the officer in-charge of the protected area according to local circumstances.

(7) If required, the officer in-charge of the protected area can specify any regions or routes closed for specified period for the persons entering the PA for the purposes mentioned under Section 28 (1).

13. Special Fees:

The officer in-charge of a protected area shall have the power to impose special rates, for any sensitive or premium areas/routes/activities, through a written order, in order to regulate the impact on wildlife and environment resulting from the tourist traffic, after giving at least two month notice, in consultation with the Chief Wildlife Warden.

14. Sharing of tourism income with the local communities:

Since the tourism in and around tiger reserves and other protected areas is sustained primarily from the non-consumptive use of wildlife resources and the local communities are the ones that bear the cost of conservation in terms of lost incomes, cattle depredation by carnivores and crop damage by wild herbivores; one third of all tourism receipts deposited in the development fund of that protected area in a year shall be shared with the Eco Development Committees of that protected area.

15. Miscellaneous:

(1) Any other tourism service or activity, not mentioned in these rules, or has been mentioned but not yet started from the management point of view, can be started with the prior permission of the Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh. But this will not be done until the adverse impacts of such activities have been assessed and effective management system has been put in place to mitigate such adverse impacts.

(2) Free entry will be given to locals and all willing tourist for the "An evening with *Junglewala*", a programme initiated to develop better understanding about the conservation related issues among the locals and also the tourists.

(3) The Chief Wildlife Warden shall limit the number of vehicles entering a protected area, on the basis of its carrying capacity. In addition, he shall also decide the separate carrying capacities for other activities such as boating, trekking, camping, elephant ride, nature trail etc.

(4) The entry/excursion or the use of any route or place by any person or by all persons can be prohibited by the officer in-charge of the protected area under unavoidable circumstances from wildlife conservation or management point of view.

(5) Detailed guidelines for filming, boating, wildlife viewing by vehicles, elephant rides, trekking, nature trail, camping and use of watch tower/hides/machans etc. and any other activity which can be started in future, shall be issued by the Chief Wildlife Warden, which will form part of these rules.

(6) No conferences, gatherings, meetings etc. can be organized inside National Parks/Sanctuaries except under specific orders of the Government. This restriction shall not apply to the meetings of the Madhya Pradesh State Wildlife Advisory Board, meetings of Forest Officers of Madhya Pradesh, training programs or workshops for Forest Officers and trainees belonging to institutions imparting training in forest and wildlife conservation and management.

(7) Unauthorized display, sticking or pasting of advertisements, signboards, banners and charts etc. in any Protected Area shall be prohibited.

(8) No person shall destroy, damage or deface any writing or signs etc. on any tree, bridge, rock, fence, seat, notice board, trash box or any other article or place, in any Protected Area.

(9) Use of spot lights to see wildlife for the purposes of tourism and photography/filming is banned.

(10) Procedure for action against any person who violates any condition of entry permit or any instruction issued by the management.

(a) Officer not below the rank of Range Officer shall be entitled to recover compensation of Rs. 2000/- from any person who has entered the protected area for tourism, and has violated any conditions of entry permit or instructions given by the management, besides this competent forest officer may take legal action as per Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and any other legal provisions, against any such person who has violated provisions of the said act or any other rules. Officer in-charge of the protected area can also ban his entry for the remaining period of his entry permit, either in part or in full. Such compensation will be recovered from the person as per the detailed instructions issued by the CWLW.

(b) For any violation by the camera man or his assistant of the photography/filming team, in addition to the legal action by the competent forest officer, their entry can be banned for the part or full period of the remaining permission period by the officer in-charge of the protected area.

(c) For any violation by the driver/boatman of the registered vehicle/boat and the guide present in it, along with the legal action by the competent forest officer, not below the rank of Range Officer shall be entitled to recover compensation of Rs. 2000/- and their entry, as well as the entry of their vehicle/boat for seven days in the case of first violation, for one month in the case of second violation and in the case of third violation their entry for the rest of the tourism year (1st July to 30th June next calendar year), shall be prohibited inside the protected area in addition to other legal actions. Registered

vehicles/boats and their driver/boatman and naturalist/guide who have been punished thrice during the previous two years, can be banned from entering the National Park or sanctuary for next two years by the officer in-charge of the protected area. CWLW will issue detailed instructions to receive such compensation from the person.

(d) Any habitual offender or a person involved in any gross misconduct or breach of rules can be barred from entering the National Park or sanctuary by the officer in-charge of the protected area.

(e) No action of barring the entry of a person under this sub-section shall be taken unless a proper opportunity of hearing has been given to the affected person.

(11) All protected areas will remain closed for tourism and videography/filming/photography on the Government holidays of Dipawali and Holi. Besides this, the other days on which protected areas will remain closed for tourism and videography/filming/photography will be decided by the State Government.

(12) Rates imposed by this notification will be valid till next notification.";

2. This Notification shall come into force with effect from 01st October, 2017.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.